दिनांक 18.06.2019 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन कार्यालय, रोहतक में श्री मनमोहन गोयल, महापौर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सदन की सामान्य बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुए:-

1. श्री कृष्ण कुमार, सदस्य वार्ड नं0 01, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती सुमन रानी, सदस्य वार्ड नं0-02, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री तिलक राज चौहान, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
4. श्री धर्मेन्द्र गुलिया पप्पन, सदस्य वार्ड नं0-04, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती गीता, सदस्य वार्ड नं0-05, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री सुरेश चन्द्र, सदस्य वार्ड नं0 06, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री मनोज कुमार, सदस्य वार्ड नं0 07, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री सुनिल कुमार, सदस्य वार्ड नं0-08, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री जयभगवान, सदस्य वार्ड नं0-09, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री राहुल देशवाल, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री कदम सिंह अहलावत, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमती मंजू हुड्डा, दस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
13. श्रीमती कंचन, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री राधेश्याम, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री गुलशन कुमार ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती डिम्पल, सदस्य वार्ड नं0-16, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमती दीपीका, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
18. श्रीमती मुक्ता, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
19. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।
20. श्री अनिल कुमार, सदस्य वार्ड नं0-21, नगर निगम, रोहतक।
21. श्रीमती संतोष, सदस्य वार्ड नं0-22, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणो तथा अधिकारियों का स्वागत किया। इसके उपरांत उपस्थित पार्षदो द्वारा महापौर महोदय की स्वीकृति से सदन में निम्न बिन्दु सदन में रखे गये:-

एजेन्डा नं0	शाखा व इंचार्ज अधिकारी	एजेन्डा	कथन	बैठक मे लिये गये निर्णय
1.	**स्थापना शाखा**	शेष पार्षदों को शपथ दिलवाने बारे।	नगर निगम की सदन की बैठक दिनांक 10/01/2019 को हुई थी जिसमें श्री तिलकराज, चौहान, पार्षद, वार्ड नं0 03 द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण नही की गई थी।	महापौर महोदय ने श्री तिलकराज चौहान, पार्षद, वार्ड नं0 03 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई।
2.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	ऐलिवेटिड रोहतक गोहाना रेलवे लाईन के समानान्तर नीचे सडक निर्माण किये जाने वाले सडक अलाईन्मेंट में आने वाले दुकान/मकान/प्लाट मालिको के पुर्नवास बारे।	1. दिनांक 8.3.2019 को कैबिनेट कमेटी की बैठक में निर्णय पारित किया गया कि रोहतक-गोहाना रेलवे लाईन को ऐलीवेटिड बनाने व 15 फीट चौड़ी सड़क बनाने में Alingment में 60 मकान, 57 दुकान, 16 प्लाट व 2 रास्तें आ रहे है। इनमें से वाणिज्यिक भवनों को उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की 2177 वर्ग गज पर व रिहायशी/प्लाट को पी0जी0आई0एम0एस0 की चिन्योट कालोनी में स्थित 7400 वर्ग गज जगह पर स्थानान्तरित किया जाना है। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की 2177 वर्ग गज जगह 77,200/-रू0 कलैक्टर रेट के आधार पर व पी0जी0आई0एम0एस0 की 7400 वर्ग गज जगह कलैक्टर रेट 12,600/- के आधार पर नगर निगम को स्थानन्तरित की जायेगी। इन स्थानों को विभागो से स्थानान्तिरित करवाने व इनके विकास पर निम्नलिखित राशि खर्च होगी:- i. Land Transfer from UHBVN:- total charges to be submitted = 16,80,64,400 ii. Land transfer from PGIIMS:- (total charges to be submitted) = <u>9,32,40,000</u> **Total Land Cost = <u>26,13,04,400/-</u>** i. Construction Cost (the shops which are to be constructed on UHVBN site= 2,28,00,000 ii. The cost for providing Civic Amenities like streets, Sewerage etc. =<u>1,25,00,000</u> **Total tentative Cost for Development of both sites = <u>3,53,00,000/-</u>** अतः दोनों विभागों को मन्त्रिमण्डल में लिये गए निर्णय अनुसार क्लैक्टर रेट के हिसाब से कुल राशि 26,13,04,400/- रू0 (छब्बीस करोड़ तेरह लाख चार हजार चार सौ रू0) जमा करवाने पश्चात ही नगर निगम रोहतक को भूमि स्थानान्तरित होनी है तथा दोनों प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए अनुमानित लागत 3,53,00,000/- रू0 प्रस्तावित है। इसलिए कुल 29,66,04,400/-रू0 की राशि हरियाणा सरकार से लेने हेतू प्रस्ताव सदन मे विचारार्थ प्रस्तुत	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि रोहतक शहर के लिए यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अतः महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को हरियाणा सरकार से धनराशि जारी करवाने के लिए पुनः प्रस्तावना भेजी जाये।

			है।	
3.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	क) शहर में जाम से छुटकारा दिलवाने के लिए पार्किंग बनवाने बारे। ख) शहर में Non Polluted City बस चलाई जायें तथा इसकी निविदा करवाई जायें। ग) घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में Battery/ CNG Three Wheeler चलाये जायें।	रोहतक शहर में बढ़ रही यातायात की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित स्थानों पर पार्किंग का निर्माण करवाया जाना है:- 1. सोनीपत रोड़ पर नगर निगम रोहतक की 2044 वर्गगज भूमि खाली पड़ी है तथा इस स्थल के पास टैक्सी स्टैण्ड होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए इस स्थल पर पार्किंग का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नगर निगम को वित्तीय लाभ हो तथा आस-पास की कालोनियों के लोगो को अपने सुख-दुख के आयोजन के लिए सामुदायिक केन्द्र का निर्माण भी करवाया जाना आवश्यक है। जिस पर लगभग 18 करोड़ रू0 की लागत आएगी। इसलिए यह प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है। 2. डी-पार्क क्षेत्र में काफी व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने की वजह से पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। जिससे प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए डी-पार्क पर नगर निगम रोहतक की जगह पर भूमिगत पार्किंग का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जिस पर लगभग 12 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसलिए यह प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है। 3. मैडिकल मोड़ पर पी0जी0आई0एम0एस0 की जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाना है। क्योकि मैडिकल में आने-जाने वाले तथा वहां पर मैडिसियन मार्किट होने की वजह से लोगों को वाहन पार्किंग करने में असुविधा उत्पन्न हो रही है व जाम की स्थिति बनी रही है। जिस पर लगभग 15 करोड़ राशि की लागत आऐगी। इसलिए यह प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है। 4. अशोका चौक जो कि शहर की व्यस्तम चौराहा है तथा आस-पास काफी मार्किट व सर्कुलर रोड होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए जाम की समस्या से निजात पाने के लिए अशोका चौक पर पर्यटन विभाग की जगह पर पार्किंग निर्माण पर लगभग 20 करोड़ की लागत आयेगी। इसलिए यह प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है। 5. कोर्ट काम्पलैक्स में आने वाले लोग कोर्ट काम्पलैक्स के बाहर अपनी गाडियां मनमानें ढंग से खडे कर देते है। जिस कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कोर्ट काम्पलैक्स के सामने मुख्य सड़क के ऊपर पार्किंग निर्माण पर लगभग 14 करोड़ रूप्ये की राशि खर्च होगी। इसलिए यह प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है। 6. रोहतक शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शहर में Non Polluted City बस चलाई जायें तथा इसकी निविदा करवाई जायें। 7. घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे- रेलवे रोड़, अनाज मण्डी, झज्जर रोड़, गोहाना अड्डा, बाबरा मौहल्ला, किला रोड़, बड़ा बाजार इत्यादि में Battery/ CNG Three Wheeler चलाये जायें ताकि लोगो को धुए से निजात मिल सके।	(क) सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया क्रमांक 1 से 5 तक वर्णित सभी पार्किंग बनाने के लिए केस तैयार कर सम्बन्धित विभागों से जमीन स्थानान्तरण करने व पार्किंग निर्माण करने की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने की सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। (ख) क्रम संख्या 6 सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि रोहतक शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शहर में Non Polluted City बस चलाई जायेंगी। महापौर ने इस बारे नियमानुसार इसकी निविदा करवाने के आदेश दिये। (ग) क्रम संख्या 7 सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। महापौर महोदय ने कहा कि आमजन को बैट्री रिक्शा/ सी0एन0जी0 थ्री व्हीलर के प्रति जागरूक किया जाये व बेरोजगारों को यथासंभव बैंको के माध्यम से लोन व सबसिडी उपलब्ध करवाई जाये। इसके लिए पहले घनी आबादी वाले सैक्टरों के रूट तैयार कर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इसके अतिरिक्त महापौर महोदय ने सुझाव दिया कि घरो में भी पी.एन.जी. तथा रोहतक शहर में सी.एन.जी. पैट्रोल स्थापित करवाने के लिए सरकार से पत्राचार किया जायें।

4.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	पी0जी0आई0एम0एस0 की जमीन पर पार्क व शौचालय का निर्माण करवाने बारे।	मैडिकल मोड़ पर पी0जी0आई0एम0एस0 की जगह आदर्श नगर की दीवार के साथ-साथ ग्रीन बैल्ट पड़ी है। जिसमें लोग कूड़ा-कचरा तथा मलबा डालते रहते है। इसलिए पी0जी0आई0एम0एस0 के निदेशक ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2364 दिनांक 23.04.2019 द्वारा अनुरोध किया है कि पी0जी0आई0एम0एस0 की जगह पर यातायात कम बच्चों के लिए पार्क निर्माण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक शौचालय का भी निर्माण किया जाना है, जिस पर 3.17 करोड़ खर्च होंगे। जिसके लिए पी0जी0आई0एम0एस0 द्वारा अपनी अनापत्ति दी जा चुकी है। इसलिए यह प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
5.	**तकनीकी शाखा** एस0डी0ओ0(विघुत)	क) शहर में स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे। ख) मानसरोवर पार्क में म्यूजिकल फाउनटैन लगाये जायें।	1. आमजन से काफी लम्बे समय से नगर निगम रोहतक क्षेत्र मे लाईटें लगवाने बारे पार्षदो के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे है। अतः नगर निगम रोहतक क्षेत्र में 30 वाट की लगभग 2000 स्ट्रीट लाईटें लगाई जानी है। जिस पर लगभग 98 लाख का खर्चा आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त शिवाजी कालोनी व गांधी केम्प में फैन्सी लाईटें लगवाई जानी है। जिस पर लगभग 01 करोड़ खर्चा आने की संभावना है। 2. मानसरोवर पार्क शहर के बीचो-बीच स्थित हैं तथा इसमें सुबह-शाम काफी लोग भ्रमण के लिए आते हैं। आम -जन की मानसिक शाति व पार्क की सुन्दरता के लिए मानसरोवर पार्क में म्यूजिकल फाउनटैन लगाने जाने उचित होगें।	1. सर्वसम्मति से नगर निगम रोहतक क्षेत्र में 3000 स्ट्रीट लाईटें लगाई जानी स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त वार्ड नं0 13 की पार्षद श्रीमति कंचन सदन को अवगत करवाया कि उनके वार्ड में किसी पोल पर दो किसी पर चार लाईटे लगी हुई है। इस पर महापौर महोदय ने एस0डी0ओ0(विघुत शाखा) को नगर निगम क्षेत्र में लगे सभी पोलो पर स्ट्रीट लाईटे चैक करने के आदेश दिये। सदन में अवगत करवाया गया कि सोनीपत रोड पर लगी स्ट्रीट लाईटें प्रायः खराब रहती है व जो ठीक होती है वे दिन में भी जलती है। इस बारे सदन में अवगत करवाया गया कि सोनीपत रोड हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में पडता है। इस बारे यह निर्णय लिया गया कि सोनीपत रोड की स्ट्रीट लाईटें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से नगर निगम को Takeover करवाने बारे कार्रवाई की जाये।

				इसके अतिरिक्त महापौर महोदय ने निर्देश दिये कि नगर निगम क्षेत्र की खराब लाईटो का सर्वे करवाकर 7 दिन के अन्दर-2 सभी खराब लाईटें रिपेयर करवाई जायें। 2. सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
6.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	पालिका कालोनी में जोहड की जगह सामुदायिक केन्द्र के निर्माण बारे व पालिका कालोनी में स्थित झुग्गी झोपडी निवासियों को किसी अन्य स्थान पर जगह देने बारे।	पालिका कालोनी में पीछे 02 एकड जगह है जिस पर झुग्गी झोपडी वालो ने कब्जा कर रखा है, जो नगर निगम की हैं। कानून व्यवस्था को भी भय है, यहां पर आमजन की मांग है कि यहां सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाये। इसके लिये वहां से झुग्गी झोपडी वालो को हटाना आवश्यक है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त महापौर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पहले वहां रह रहे झुग्गी झोपडी वालों के पुर्नवास की व्यवस्था की जाये इसके बाद सामूदायिक केन्द्र बनवाया जाये।
7.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	नगर निगम के वार्डो में ओपन जिम लगवाने बारे।	आमजन की सुविधा व उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के प्रत्येक वार्ड मे पार्षद द्वारा बताये गये पार्क में एक-एक ओपन जिम लगवाया जाना है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया व यह भी निर्णय लिया गया कि जिन वाडों में पार्क नही है वहां सामूदयिक केन्द्रो में ओपन जिम लगाये जाये।
8.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	नगर निगम कार्यालय में सभा कक्ष बनाने बारे।	नगर निगम रोहतक का अपना कोई सभाकक्ष नही है,जिसमें सदन की बैठक व अन्य आवश्यक बैठक आयोजित की जा सके। नगर निगम कार्यालय में एक सभाकक्ष बनाना प्रस्तावित है जिस पर लगभग 150 लाख रू राशि खर्च होगी जो M.C फंड से वहन की जायेगी।	नगर निगम के नए भवन निर्माण की प्रस्तावना हैं। अतः सभाकक्ष पर अनावश्यक खर्च न किया जायें। अस्वीकृत किया गया।

9.	**भू-शाखा** भू अधिकारी	कलैक्टर रेट अनुसार दुकानदारों को मालिकाना हक देने बारे।	नगर निगम की कुल 677 दुकाने है। हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2018 व दिनांक 16.08.2018 की सरकार द्वारा जारी पॉलिसी के तहत 452 दुकाने व 30 यूनिट भूमि कवर होती है। इनमें से 109 स्टॉल सब्जी मण्डी रोड पर है, जिनकी हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसलिए यह केस इसमें कवर नही होते। इसके अतिरिक्त बकाया कुल 343 केस रह जाते है। इनमें से 135 चौबारे दुकानों पर व 25 चौबारे लीज पर दी गई भूमि पर बने हुए है, जिनमें से 96 दुकानों पर चौबारे दुकानदारों द्वारा तत्कालीन नगर परिषद से स्वीकृति लेकर धरोहर राशी जमा करवाकर अपने खर्चे पर बनाए गए है। बाकी 39 चौबारे दुकानों पर व 25 चौबारे लीज भूमि पर किरायेदारों द्वारा बिना निगम से स्वीकृति लिए तथा बिना धरोहर राशि जमा करवाए बनाए गए है। अभी तक नगर निगम, रोहतक को किरायेदारों के कुल 70 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। जिनमें से 21 केस स्वीकृत किए जा चुके है। बाकी दुकानदारों को विज्ञापन द्वारा व नोटिस द्वारा पहले ही सूचित किया जा चुका है कि वह इस पॉलिसी के तहत मालिकाना हक लेने के लिए प्रार्थना पत्र तुरन्त प्रस्तुत करें, भू-तल की दुकानों के उपर बने हुए निर्माण की कीमत कलैक्टर रेट अनुसार भू-तल के बराबर लगाकर दुकानदारों को मालकाना हक देने व जिन दुकानदारों ने अपने खर्चे पर निर्माण किया व धरोहर राशी जमा करवाई है, उनकी धरोहर राशि कम करके मालिकाना हक देने का प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतू प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त महापौर महोदय ने निर्देश दिये कि महापौर व आयुक्त, नगर निगम की अध्यक्षता में सम्बन्धित पार्षद की एक कमेटी का गठन करके आगामी निर्णय लिया जाये।
10.	**भू-शाखा** भू अधिकारी	नगर निगम के अंर्तगत आने वाले सभी गांवों के जोहडो से मछलियां निकालने व जोहडों को किराये पर देने बारे।	गांव बोहर में 04 जोहड, गांव बलियाणा में 08 जोहड, गांव सुनारिया 06 जोहड, गांव पहरावर मे 04 जोहड, माजरा(गढीबोहर) 01 तथा कन्हेली में 01 जोहड में मछलियां पालने के लिए जिला मत्सय अधिकारी से आंकलन करवाकर इन जोहडो को लीज पर दिया जाना है।	अस्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त महापौर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि कोई नगर निगम की अनुमति के बगैर अवैध रूप से मछली पालन का कार्य करता है तो उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दायर की जाये।
11.	**भू-शाखा** भू अधिकारी	विज्ञापन के टैण्डर बारे।	विज्ञापन का समय दिनांक 31.08.2019 को समाप्त हो रहा है। अब विज्ञापन का एरिया बढाकर 8,000 से बढाकर 13,815 Sq.Feet हो गया है, जिसके रेट 115 Rs. Sq.Feet के हिसाब से 1,90,64,700/- बनते है। अतः नगर निगम क्षेत्र के विज्ञापन का पुनः टैण्डर दिये जाने है, जिनके लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। घटनोत्तर स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
12.	**भू-शाखा** भू अधिकारी	नगर निगम की अतिक्रमण टीम के साथ सुरक्षा के प्रंबध करने बारे।	रोहतक शहर के अंदर लगभग 10-12 बाजार बने हुए है। जिसके अंदर दुकानदार अपना-2 समान करना पडता है। नगर निगम, रोहतक की टीम द्वारा समय-समय पर इन बाजारों से अतिक्रमण को हटवा दिया जाता है। कई बार अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों द्वारा झगडा भी हो जाता है। इसलिए 10 सिक्योरिटी गार्ड नगर निगम, रोहतक में नियुक्त किए जाने अति आवश्यक है ताकि नगर निगम की टीम जब भी अतिक्रमण को हटाने जाए तो सिक्योरिटी गार्ड साथ हो, ताकि झगडा होने की स्थिति से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त जब तक उक्त नियुक्ति की जाये पुलिस से मदद प्राप्त की जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

13.	**भू-शाखा** भू अधिकारी	शहर में चल रही दुग्ध डेयरियों सीमा से बाहर शिफट करने बारे।	उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि महा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा के पत्र क्रमांक EE-III/DULB/2019/ 2225 दिनांक 08-05-2019 में स्पष्ट किया गया है किं 15 एकड़ भूमि में डेयरी काम्पलैक्स का निर्माण करने का निर्णय अपने स्तर पर निदेशालय के पत्र क्रमांक A2/DULB/2017/300 दिनांक 03-02-2017 के तहत करें। डेयरी काम्पलैक्स के निर्माण के लिए नगर निगम की भूमि गांव गढी बोहर/बोहर में 227//19, 20, 21, 22, 261//20, 21, 262//6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 ***कुल 15 एकड़ भूमि उपलब्ध है।*** निदेशालय के दिशा निर्देशो अनुसार डेयरी काम्पलैक्स का निर्माण 15 एकड़ भूमि में अतिरिक्त किया जाना है। ***नगर निगम रोहतक का पहले एक डेयरी काम्पलैक्स है, जो 37 एकड़ 2 कनाल 16 मरले भूमि में स्थापित है।*** दुर्गाभवन मन्दिर के पीछे स्थित डेयरी की मार्केटिंग करने वालो के लिए 88 प्लाट, बायोगैंस संयत्र, स्ट्रीट लाईट, गली/सड़के, पशु हस्तपताल व अन्य सुविधांए उपलब्ध होनी है। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा क्रमांक 12640 दिनांक 29-05-2016 को डेयरियों को शहर से शिफ्ट करने की घोषणा की हुई है। अतः माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा की गई घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए व निदेशालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशो की पालना में गढ़ी बोहर में 15 एकड़ भूमि पर डेयरी मार्केटिंग के लिए अतिरिक्त डेयरी काम्पलैक्स तैयार करने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है। जिस पर लगभग 24.86 करोड़ रूपये खर्च आयेगा।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि शहर से डेयरियां बाहर की जाये तथा शहर मे जो डेयरी वाले सीवर में गोबर बहाते है उन पर जुर्माना किया जाये लेकिन गढी बोहर में डेयरियां स्थापित करने पर सम्बन्धित पार्षद द्वारा एतराज किया गया।
14.	**भू-शाखा** भू-अधिकारी	सडको पर स्वागत द्वार लगाने पर चार्ज।	प्रायः स्वयंसेवी संस्थानो द्वारा अपने कार्यक्रम के लिए सडको पर द्वार लगा लिये जाते है। इन द्वार निर्माण में न तो नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है तथा न ही पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वंयसेवी संस्थाएं जिनसे अनुदान लेती है उनके प्रतिष्ठानों का विज्ञापन भी प्रर्दशित करती है। अतः ऐसे स्वागत द्वारों की जिन विभागों की सडक है उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र, पुलिस व अग्निशमक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने उपरांत 5000/- रू0 प्रति स्वागत द्वार प्रतिदिन फीस जमा करवानी होगी। स्वागत द्वार पर भी ECO Friendly Material प्रयोग करना होगा। बिना विज्ञापन के स्वागत द्वार पर 2000/- रू0 प्रतिदिन स्वागत द्वार फीसह होगी। बिजली के खम्बो,चौराहो, दीवारों पर पोस्टर,होर्डिग्स लगाने वालों पर Defacement of Property Act के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई जायेगी व प्रति साईट जुर्माना वसूला जायेगा।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
15.	**भू-शाखा** भू-अधिकारी	सडको पर कम्पनियों द्वारा Canopy लगाकर प्रचार करना	प्रायः नगर निगम रोहतक में कम्पनियों द्वारा Canopy लगाकर अवकाश वाले दिन अपनी कम्पनी के उत्पाद का प्रचार किया जाता है। अतः ऐसे प्रचार पर 1000/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 10'X12' स्टाल के चार्ज किये जायेंगे।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
16.	**भू-शाखा** भू-अधिकारी	डेयरी काम्पलैक्स कन्हैली के साथ लगती निगम की 3	उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पुराना जुडिशियल काम्पलैक्स की 5533 वर्गगज़ भूमि के रेट 75000/-रु0 प्रति वर्गगज़ 50 फुट तक वाणिज्यिक उदेश्य के लिए स्थानान्तरण करने की	महापौर महोदय ने कहा की कन्हेली शहर से बाहर है आमजन को आने जाने में भी

		एकड़ भूमि में निगम कार्यालय का निर्माण करने बारे।	स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। इस बारे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCR/LO/2016/535 दिनांक 30-08-2016 को नगर निगम कार्यालय बनाने के लिए इस भूमि को नगर निगम को 99 साल की लीज न्यूनतम रेट पर या बिना किसी शुल्क के (Free of Cost) स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 83-एआरआईसी-1-2017/3589 दिनांक 29-03-17 द्वारा सूचित किया गया कि 99 साल के पटटे पर या निशुल्क स्थानान्तरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पत्र के क्रम में पुनः अनुरोध किया गया था कि यह भूमि 75000/-रु0 प्रति वर्गगज की बजाए रिहायशी कलैक्टर रेट 13,000/रु0 प्रति वर्गगज के हिसाब से दे दी जाए। रिहायशी भूमि के कलैक्टर रेट 13,000/रु0 प्रति वर्गगज़ के हिसाब से 5533 वर्गगज़ भूमि की कुल राशि मु0 7,19,29,000/-रु0 बनती है जब कि 75000/-रु0 प्रति वर्गगज के हिसाब से लगभग 42 करोड़ बनती है। बिना अदायगी के यह भूमि ट्रान्सफर नहीं हो सकती है। राशि बहुत ज्यादा है। अभी तक सरकार से इस की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई है। नगर निगम का कार्यालय आमजन की सुविधा को देखते हुए बहुत छोटा है। आमजन को सफाई कार्य के लिए व तकनीकी कार्य के लिए पुराना ए0डी0सी0 कार्यालय में जाना पड़ता है जिस कारण आमजन को अपना कार्य करवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर नगर निगम का कार्यालय एक जगह पर बन जाता है तो आमजन को अपना कार्य करवाने में काफी सुविधा होगी तथा निगम उनको समय में सभी सुविधाए उपलब्ध करवा पाएगा। सभी अधिकारीगण भी एक जगह रहेगें ताकि आमजन को चक्कर भी नहीं काटने पड़ेगे। नगर निगम कार्यालय के लिए डेयरी काम्पलैक्स कन्हैली के साथ लगती निगम की 3 एकड़ भूमि किला न0 37//6, 7, 14 में उपलब्ध है। अतः इस भूमि पर निगम कार्यालय का निर्माण करने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	काफी असुविधा होगी इसलिये कार्यालय शहर में ही होना चाहिए। वार्ड नं0 11 के पार्षद श्री कदम सिंह अहलावत ने सुझाव दिया कि शहर में भिन्न-2 स्थानों पर सब आफिस बनाये जा सकतें है। अतः सदन में निर्णय लिया गया कि सैशन कोर्ट की जमीन रिहायशी दामों पर लेने बारे सरकार से पुनः पत्राचार किया जाये तथा नगर निगम के उप-कार्यालय बनाने के लिए प्रस्तावना तैयार की जाये।
17.	**सफाई शाखा** मुख्य सफाई निरीक्षक	शहर में विभिन्न संस्थानों एवं इन्डस्ट्रीज से कूड़ा कचरे को सुनारियां स्थित सोलिड वेस्ट प्लांट पर स्वंय द्वारा पहुंचाने हेतू चार्जस निधारित करने बारे।	शहर में विभिन्न संस्थानों एवं इन्डस्ट्रीज से कूड़ा कचरे को सुनारियां स्थित सोलिड वेस्ट प्लांट पर स्वंय द्वारा पहुंचाने हेतू चार्जस निधारित करना प्रस्तावित हैं। ट्रैक्टर-ट्राली के माध्यम से डाला गया कूड़ा कचरा पर प्रति ट्राली 500/- रूपये व डम्पर पलैसर पर 2000/- रूपये लगाया जाना उचित होगा।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
18.	**सफाई शाखा** मुख्य सफाई निरीक्षक	नगर निगम रोहतक एरिया से आवारा बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिये एक नई गाड़ी हाईड्रोलिक सहित खरीद करने बारे।	नगर निगम रोहतक क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। इन पशुओं को पकडकर पहरावर गउशाला में छोडने के लिए नई हाईड्रोलिक गाडी की आवश्यकता है। जिस पर लगभग 15 लाख रू0 खर्च आयेगा।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
19.	**सफाई शाखा/भवन**	शहर में निर्माणाधीन कच्चे बेरी रोड़ फाटक पर स्लाटर	मार्डन स्लाटर हाउस जो कि निर्माणाधीन है, जिसमें 100 गोट की स्लाटरिंग करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही स्लोटरिंग के दौरान निकलने वाले दूषित जल की पी0एच0 वैल्यू व	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

	शाखा मुख्य सफाई निरीक्षक/सहायक नगर योजनाकार	हाउस को चालू करवाने व दुकानों की संख्या बढाने बारे।	टी0डी0एस0 मेंटेन करने के लिए 20 KLD की ETP लगाई जा रही है ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो। जिस पर लगभग 150 लाखरूप्ये खर्च आयेगा तथा NGT/PCB का पालनार्थ दबाव रहता है। यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार की घोषणा कोड 22347 के तहत करवाया जा रहा हैं। जिसके चलाने व रख रखाव हेतू प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	
20.	**दमकल शाखा दमकल केन्द्र अधिकारी**	नगर निगम रोहतक में तीन फायर स्टेशन मे 50 फायर आपरेटर अनुबन्ध आधार पर रखने बारे।	नगर निगम रोहतक में तीन फायर स्टेशन होने के कारण फायर स्टाफ की कमी को देखतें हुए 50 फायर आपरेटर अनुबन्ध आधार पर रखे जाने है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया व केस शहरी स्थानीय निकाय विभाग को स्वीकृति हेतू भेजने के निर्देश दिये गये।
21.	**स्थापना शाखा**	नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का शैक्षणिक दौरा करवाने बारें।	यह प्रस्तावति हैं कि नवनिर्वाचित पार्षदो को जागरूक करने हेतू स्वच्छता, रोड़/सड़क सुरक्षा, पार्को के रखरखाव व शहर के रखरखाव हेतू भारत वर्ष के आदर्श/सुन्दर शहरो का शैक्षिक दौरा करवाया जाना उचित हैं।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया व यह निर्णय लिया गया कि महापौर महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा उक्त कमेटी पार्षदो से प्रस्तावना लेकर अवगत करवायेगी ताकि शैक्षणिक दौरा करवाने बारे आगामी कार्रवाई की जा सके।
22.	**स्थापना शाखा**	फिल्ड स्टाफ की उपस्थिति व वास्तविक समय सुनिश्चित करने बारें।	फिल्ड स्टाफ की उपस्थिति व वास्तविक समय सुनिश्चित करने के लिए आई.सी.टी. बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना प्रस्तावति हैं। जिस पर Rate Contract approved by by Hartron for Tabmiles is below:- 1) Rs. 2500/- one time license fee per user and Rs. 250/- per month per user on recurring basis just for Tabmiles services. 2) Rs. 2500/- one time license fee per user and Rs. 600/- per month per user on recurring basis which includes a loaner cell phones and Tabmiles services. Cell phone has to be returned in working condition. यदि नगर निगम, रोहतक कर्मचारियों का डाटा एजेन्सी को उपलब्ध करवाता हैं तो चार्ज दर निम्न होंगी:- a) Rs. 2500/- one time license fee per user and Rs. 750/- per month per user on recurring basis which includes a loaner cell phones and Tabmiles services and data plan.	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

23.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	शहर में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए एक नये वाटर वर्क्स का निर्माण करवाने बारे।	शहर में पानी की दिक्तत को दूर करने के लिए एक नया वाटर वर्क्स बनवाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध/प्रार्थना किया जाना उचित होगा ताकि आम-जन को पानी की समस्या से निजात मिल सकें।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए लाढोत गांव में नए जलघर की प्रस्तावना जनस्वास्थ्य विभाग को भेजने के निदेश दिये गये।
24.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	शहर को हरा-भरा बनाने के लिए सवा लाख पौधे लगाने बारें।	रोहतक शहर को हरा-भरा बनाने के लिए सवा लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हैं, इसलिए जुलाई/अगस्त के महीने में शहर तथा शहर के चारो ओर पौधे लगाये जायें। हर घर जहां पांच पौधे लगाये जाने संभव हो वहां नगर निगम के कर्मचारी स्वयं जाकर पौधे लगाये।	रोहतक शहर को हरा-भरा बनाने के लिए सवा लाख पौधे लगाने का लक्ष्य को पूरा करने बारे महापौर महोदय ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर-2 रोहतक शहर के सभी पार्षदो/सभी समाजसेवी संस्थाओं/ व्यापारियों व अन्य शहर के गणमान्य व्यक्तियों की बैठक बुलाई जायेगी व रोहतक शहर को हरा भरा बनाने के लिए उनका सहयोग लिया जायेगा।
25.	**तकनीकी शाखा** कार्यकारी अभियंता	सभी वार्डो में विकास कार्य करवाये जायें।		सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया व महापौर महोदय ने सभी पार्षदों से अनुरोध किया कि सभी पार्षद अपने-2 वार्ड से सम्बन्धित 25 लाख तक के विकास कार्यों की सूचि कार्यालय मे उपलब्ध करवायें ताकि सभी वार्डो में विकास कार्य करवाये जा सके। **सदन द्वारा महापौर महोदय को भी एक करोड रूपये तक के विकास कार्यो की सूचि देने व कार्य करवाने की सहमति दी।**

26.	**पथ विक्रेताओ के लिए स्थान निर्धारित करने बारें।**	पथ विक्रेताओ के वेंडिंग जोन अनुमोदन बारे।	शहरी स्थानीय निकाय, पंचकूला द्वारा मै0 रूद्राभिषेक इन्टरप्राईजेज लि0 को टैण्डर के माध्यम से शहरी पथ विक्रेता के सर्वे का कार्य दिया गया था। मै0 रूद्राभिषेक इन्टरप्राईजेज लि0 की सर्वे रिपोर्ट अनुसार 3755 पथ विक्रेता रोहतक शहर में पाये गये जिनके वेंडिंग व नॉन-वेंडिंग जोन निर्धारित किये जाने हैं। एजेन्सी द्वारा सर्वे रिर्पोट अनुसार 13 वेडिंग जोन निर्धारित किए गये गए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं:-	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

S.No.	Site Name	Type
1	New Bus Stand	Free Vending Zone
2	Old ITI-I	Free Vending Zone
3	Old ITI-II	Free Vending Zone
4	Near Old Bus Stand	Free Vending Zone
5	GohanaAdda-I	Restricted one side of the Road
6	GohanaAdda-II	Restricted one side of the Road
7	Gandhi Camp-I	Restricted one side of the Road
8	Gandhi Camp-II	Restricted one side of the Road
9	Jhajjar Road	Restricted one side of the Road
10	Model Town	Restricted one side of the Road
11	Shivaji Colony-I	Restricted one side of the Road
12	Shivaji Colony-II	Restricted one side of the Road
13	Jind Road	Restricted one side of the Road
14	Sector-1,2 Market	Free Vending Zone
15	Sector-2 (Part)-Market	Free Vending Zone
16	Delhi Byepass, Near Circuit House	Restricted one side of the Road

	सामान्य कार्य सूचि	1. गंदे नाले, नालियां व सीवर तथा बरसात के पानी की लाईन की सफाई करवाई जायें। 2. शहर में पानी की सप्लाई प्रर्याप्त मात्रा में की जायें। 3. अवैध कालोनियों को वैध करवाने के प्रयास करने बारें।	1. जनस्वास्थ्य विभाग के गंदे नाले, नालियां व सीवर की सफाई तथा बरसात के पानी की लाईन को बरसात का मौसम शुरू होने से पहले उनकी सफाई करवाई जायें। 2. शहर में पानी की सप्लाई प्रर्याप्त मात्राा में हो तथा जहां-जहां पर गंदे पानी आने की समस्या हैं, उसको तुरंत ठीक किया जायें। 3. अवैध कालोनियों को वैध करवाने के लिए चण्डीगढ तक प्रयास हो ताकि उनमें अमृत योजना के तहत काम हो सकें।	1. महापौर महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता व सहायक अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द गंदे नाले, नालियां व सीवर की सफाई तथा बरसात के पानी की लाईन को बरसात का मौसम शुरू होने से पहले उनकी सफाई करवाने बारे निर्देश दिये गये। 2. महापौर महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता व सहायक अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को नियमित रूप से पानी सप्लाई करवाने बारे निर्देश दिये। 3. महापौर महोदय ने नगर निगम क्षेत्र के अंर्तगत आने वाली अवैध कालोनियों को वैध करवाने हेतू सरकार से पत्राचार के निर्देश दिये।
		अन्य कोई मुद्दा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	**बैठक में अन्य मुद्दो पर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरांत ही विचार-विमर्श किया जायेगा।** 1. सदन द्वारा जनस्वास्थ्य विभाग के सीवर व पानी सप्लाई के कार्यो पर असन्तोष व्यक्त किया। जनस्वास्थ्य विभाग न तो अवैध कनैक्शन पर कार्रवाई करता है तथा न ही जलघरों के टैंक की सफाई सुनिश्चित की है, जिसकी वजह से जलघरों ने टैंक अपनी क्षमता अनुसार पानी एकत्रित नही कर पाते। इसी प्रकार सीवर की समस्या का भी बुरा हाल है सीवरों की सुचारू रूप से सफाई नही होती तथा प्रायः जाम रहते है। 2. सदन के नोटिस में लाया गया कि वर्ष 2018-19 में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 18 लाख रू0 नाले जहां सीवर से मिलते है, उन स्थानों पर जाल लगाने के लिए डी0प्लान से स्वीकृत किये गये, परन्तु विभाग द्वारा कार्य न करवाने के कारण धनराशि का प्रयोग नही हो पाया। 3. शहर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने बारे।	1. महापौर महोदय ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सीवर व पानी सप्लाई की समस्या के समाधान के व जलघरों की सफाई के निर्देश दिये। 2. सदन द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए उपायुक्त, रोहतक को इस संदर्भ में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने व लिखने के निर्देश दिये गये। 3. महापौर महोदय ने एस0डी0ओ0 (विद्युत) नगर निगम को निर्देश दिये कि सभी पार्षदों से उनके वार्ड मे आवश्कतानुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरे की

				Demand लेकरशहर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने बारे आगामी कार्रवाई अमल में लायें।
			4. वार्ड नं0 11 के पार्षद श्री कदमसिंह अहलावत ने नहर के पास हाई मास्ट लाईट लगवाने बारे अनुरोध किया।	4. महापौर महोदय ने एस0डी0ओ0 (विघुत) नगर निगम को मौका देखकर आगामी कार्रवाई के निर्देश दियें।
			5. वार्ड नं0 11 के पार्षद श्री कदम सिंह अहलावत ने सदन को अवगत करवाया कि उनके वार्ड में आवारा कुत्तों व बंदरो का काफी आतंक है, रोजाना 5-6 लोग बंदरों व कुत्तों द्वारा काट लिये जातें है। अतः उनके वार्ड में आवारा कुत्तों व बंदरों से निजात दिलवाई जाये।	5. महापौर महोदय ने मुख्य सफाई निरीक्षक को जल्द से जल्द नगर निगम क्षेत्र से बंदरों व कुत्तों को पकडवाने के निर्देश दियें।
			6. सभी पार्षदों द्वारा उनके वार्डो में पानी व सीवर की समस्या को लेकर काफी असंतोष व्यक्त किया।	6. महापौर महोदय द्वारा जनस्वास्थ्य विभाग कों अधिकारियों को निर्देश दिये कि एक सप्ताह के अन्दर सभी वार्डो में सीवर व पानी की समस्या का समाधान करें अन्यथा एक सप्ताह पश्चात उनके उच्च अधिकरियों को कार्रवाई करने बारे लिखा जायेगा।
			7. वार्ड नं0 10 के पार्षद श्री राहुल देशवाल ने उनके वार्ड में बने घाट को रिपेयर करवाने बारे अनुरोध किया।	7. महापौर महोदय ने श्री सतप्रकाश, एस0डी0ओ0 नगर निगम व श्री अमन, एस0डी0ओ0 नगर निगम को जल्द से जल्द मौका देखकर घाट को रिपेयर करवाने के निर्देश दिये।
			8. सदन में पार्षदो द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में विकास कार्यो की निविदा आमंत्रित करने के पश्चात उन्हे पता नहीं रहता कि कम्पनी/एजेन्सी द्वारा कार्य करवाया जा रहा हैं।	8. महापौर महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंताओं नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये कि भविष्य में निविदा आमंत्रित करने पश्चात वर्क आर्डर की प्रति संबंधित वार्ड पार्षद को भी उपलब्ध करवाई जायें।
			9. सदन में पार्षदो द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा जब भी कोई सड़क/गली बनाई जाती हैं तो उस दौरान पानी व सीवर के पाईप आदि टूट जाती है व सीवर लाईन बंद हो जाती हैं।	9. महापौर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में सड़क/गली के कार्य पूर्ण होने पर संबंधित SDO, जनस्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के नगर

				अभियंता संयुक्त रूप से गली निर्माण के पश्चात निरीक्षण कर बिल पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें कि सीवरों में गली निर्माण को कोई मलबा नहीं हैं।
			10. सदन में वार्ड नं0 21 के पार्षद श्री अनिल कुमार द्वारा अवगत करवाया गया कि सरकार की नितियों के बारे में पार्षदों को कोई भी जानकारी नहीं होती हैं। इस पर सभी पार्षदों सहमति जताई व सरकार की नितियों की जानकारी देने बारें महापौर महोदय का कहा।	10. महापौर महोदय द्वारा इस बारे निर्देश दिये गये कि भविष्य में आने वाली सरकार की नितियों की प्रति सभी पार्षदों को भी भिजवाई जायें।
			11. वार्ड पार्षदों द्वारा सदन में अनुरोध किया गया कि नगर निगम कार्यालय के अधीन आने वाले सामुदायिक केन्द्रों में कियाक्रम के लिए किराया 1100 रूपये किया जायें।	11. सदन द्वारा नगर निगम कार्यालय के अधीन आने वाले सामुदायिक केन्द्रों में रस्मपगड़ी व किया के लिए किराया 1100 रूपये की फीस निर्धारित की जायें।
			12. वार्ड 11 के पार्षद श्री कदम सिंह अहलावत ने अनुरोध किया गया कि JLN नहर के साथ डीच ड्रेन की सफाई करवाई जायें।	12. इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि यह ड्रेन सिचाई विभाग से संबंधित हैं, इसलिए इस बारें सिचाई विभाग को सफाई करवाने बारें पत्र लिखा जायें।
			13. वार्ड नं0 06 के पार्षद श्री सुरेश चन्द्र ने अनुरोध किया कि गोहाना रोड़ शमशान घाट के पास शौचालय बनाया जायें।	13. सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
			14. सदन को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2013 में जो कार सं0 एच.आर.आर. 01 तत्कालीन उपायुक्त,रोहतक-कम-आयुक्त, नगर निगम रोहतक को उपलब्ध करवाई गई थी। वह वापस नगर निगम में ले ली गई है तथा इस अब इस गाड़ी का नं0 एच.आर. 05 बी.ए. 0011 हैं।	14. सदन द्वारा इस पर सहमति जताई गई।

इसके उपरान्त महापौर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की धोषणा की।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक M CR/Mayor/2019/3422-25 दिनांक 21/6/19

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री मनीष ग्रोवर, सहकारिता, मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा शहरी स्थनीय निकाय, राज्यमंत्री हरियाणा सरकार।
2. श्री अरविंद शर्मा, सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2019/3426-37 दिनांक 21/6/19

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग रोहतक।
6. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विघुत प्रसारण निगम, रोहतक।
7. अधीक्षक अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
8. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
9. सिविल सर्जन, रोहतक।
10. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
11. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम्, रोहतक।
12. निजी सहायक आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।